


8.2.21 पणवली आठ मूल पणवली के साथ
पेश हुई। वकील साभल एवं साभल
द्वारा मूल वाद आपिल लिया जो
चुका है। मूल वाद के बगैर जाफ
का कोई औचित्य नहीं है। अतः
पार्थना पर इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है और दिनांक 23.10.20
को जारी आन्तरिक अस्वाइ निवेदन
निरस्त की जाती है। पणवली के सल्लुकार
द्वारा संलग्न मूल वाद रहे।


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)